

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 34/2020

फूलाराम सैनी पुत्र भंवरलाल सैनी, मोतीसिंह की ढाणी, जांगिड मंगल भवन के पास, वार्ड न0 51, झुंझुनू

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलेक्टर ) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 06.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.06.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 34/2020 पर दिनांक 19.06.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलेक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलेक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलेक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /624-625 दिनांक 19.06.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलेक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/09/1413 दिनांक 13.07.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिनांक 12.05.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.3.2020 को फूलाराम द्वारा की गई शिकायत पर जांच रिपोर्ट का विवरण चाहा गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू को पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2009/440 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया जा चुका है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलेक्टर ) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/ सू0अ0/09/1413 दिनांक 13.07.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 12.05.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.3.2020 को फूलाराम द्वारा की गई शिकायत पर जांच रिपोर्ट का विवरण चाहा गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू को पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2009/440 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया जा चुका है। अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। लो0सू0अ0 ( अति0 जिला कलेक्टर ) झुंझुनू को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी चाही गई सूचना 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0 खान )

जिला कलेक्टर झुंझुनू  
जिला कलेक्टर झुंझुनू

07/08/2020